राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी

State Adoption Resource Agency

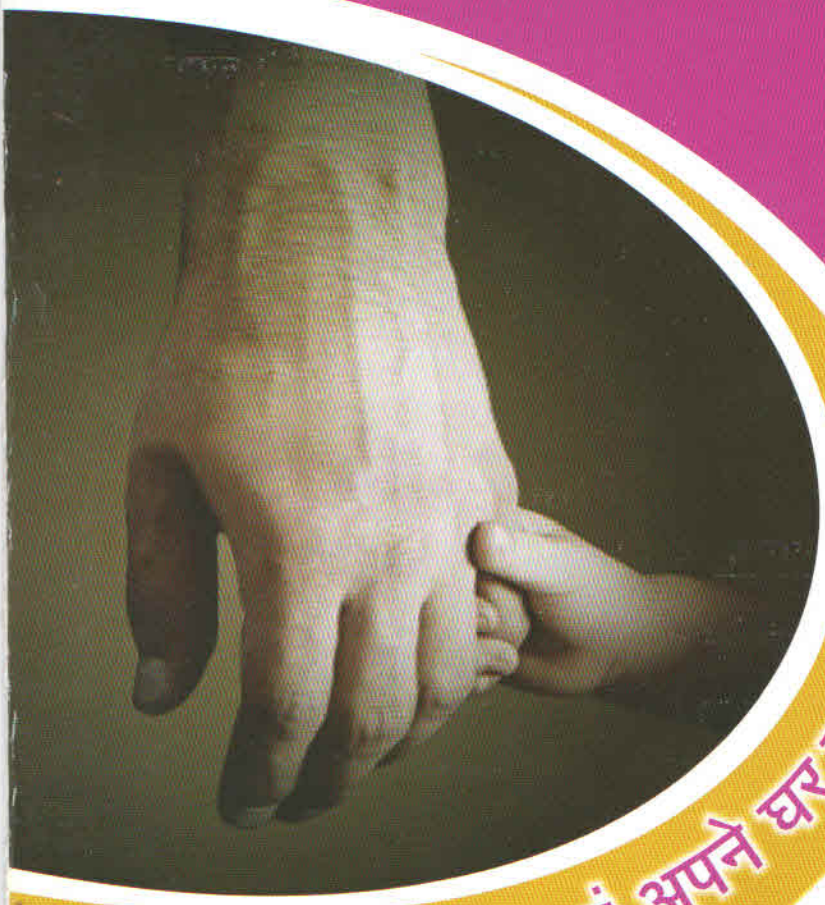

शिशु गोद लें, खुशियां अपने घर लाएं

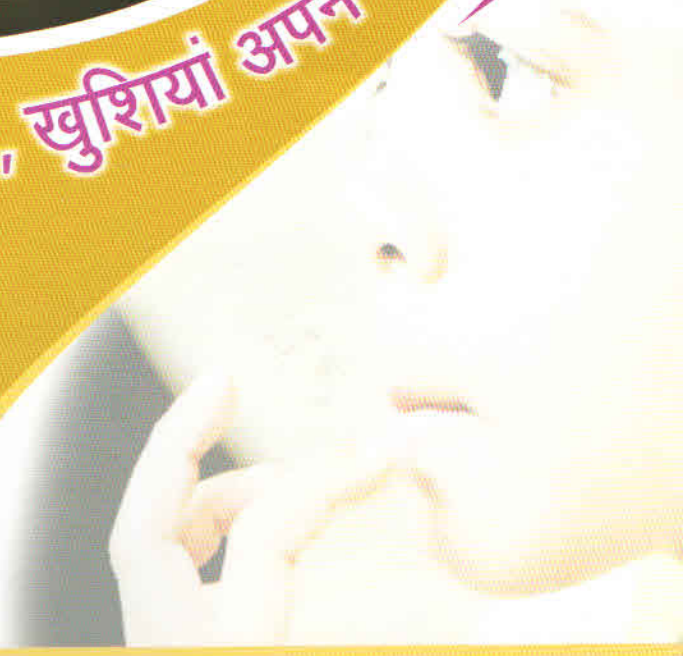

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा

CARA

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

Central Adoption Resource Authority

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) महिला एवं बाल विकास, भारत सरकार के मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है, यह भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है और गोद लेने की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए देश में और अंतर देश में दत्तक प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए अनिवार्य है।

SARA

राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी

State Adoption Resource Agency

- राज्य स्तर पर दत्तक ग्रहण की प्रणाली कार्यन्वित, संबंधित जांच करना एंव संचालित करने वाली संसाधन संस्था।
- राज्य स्तर पर दत्तक ग्रहण में भूमिका निभाने वाली मुख्य संस्था जो CARA को देश में एंव देश के बाहर बच्चों के दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहित करने में समर्थन देती है।
- राज्य में किसी लावारिस शिशु के प्राप्त होने से लेकर, उसकी देखभाल के लिए विशेष दत्तक ग्रहण संस्था में दाखिल कराने से लेकर उसके दत्तक ग्रहण एंव दत्तक ग्रहण के बाद भी कम से कम दो साल तक उसके पालन–पोषण पर नजर एंव जांच रखती है।

SAA

विशेष दत्तक संसाधन एजेंसी

(Specialized Adoption Agency)

विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी (SAA) जिसमें मान्यता प्राप्त भारतीय नियोजन अभिकरण और लाइसेंस धारी दत्तक ग्रहण नियोजन अभिकरण शामिल हैं।

गोद लेने (दत्तक ग्रहण) के लिए पात्रता

1. एक व्यक्ति को चाहे उसकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, या
2. माता–पिता को उसी लिंग का बच्चा दत्तक ग्रहण करने के लिए चाहे उसके कितने ही जीवित जैविक पुत्र या पुत्रियां हैं, या
3. एक निःसंतान दंपति।

दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता– पिता (पी ए पी) के लिए अतिरिक्त पात्रता मापदण्ड

1. एक ऐसे दंपत्ति को बच्चे का दत्तक ग्रहण करने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक उनका स्थाई वैवाहिक संबंध कम से कम 2 वर्ष पूरे न कर लिए हों।
2. बिना विवाह के साथ रहने वाले दंपत्तियों को बच्चे के दत्तक ग्रहण की पात्रता नहीं है।
3. 0–3 वर्ष के आयु समूह में बच्चे को दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता–पिता की अधिकतम सम्मिश्रित आयु 90 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता–पिता में से प्रत्येक की आयु 25 वर्ष से कम नहीं हो और 50 वर्ष से अधिक नहीं हो।
4. 3 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का दत्तक करने के लिए दत्तक ग्रहण वाले संभावित माता–पिता की अधिकतम सम्मिश्रित आयु 105 वर्ष होनी चाहिए,जिसमें दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता–पिता में से प्रत्येक की आयु 25 वर्ष से कम नहीं हो और 55 वर्ष से अधिक नहीं हो।
5. यदि कोई एकल दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता–पिता दत्तक ग्रहण का इच्छुक है,तो उसकी आयु 30 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3 वर्ष के आयु समूह बच्चों के दत्तक ग्रहण करने वाले की अधिकतम आयु 45 वर्ष और 3 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के दत्तक ग्रहण करने वाले की अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए।
6. दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता–पिता के पास बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन होने चाहिए।
7. दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता–पिता का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उन्हें कोई संक्रामक या गंभीर रोग या मानसिक या शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उसे बच्चे की देखभाल से रोक सके।

8. दूसरे बच्चे के दत्तक ग्रहण की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब प्रथम बच्चे के लिए कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया हो परन्तु यह भाई बहिनों के मामले में लागू नहीं है।

9. एक अविवाहित या अकेले पुरूष को बालिका के दत्तक ग्रहण की अनुमति नहीं है।

अडॉपशन के लिए राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी (SARA) अथवा नजदीकी विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी (SAA) से सम्पर्क करें:–

आवेदन कैसे करें

पंजीकरण संबंधी फार्म www.adoptionindia.com सें डाउनलोड करें या आनलाईन आवेदन करें या 1000 रू. का शुल्क जमा कराकर फार्म नजदीकी विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी (SAA) से ले सकते हैं।

हरियाणा में दत्तक ग्रहण में कार्यरत निम्न दो विशेष दत्तक एजेंसी हैं:–

i) हरियाणा बाल कल्याण राज्य परिषद्, चंडीगढ़

हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद्,
बाल विकास भवन, कोठी न. 650,
सैक्टर 16–D चण्डीगढ़
Phone No. 0172-2770393,
Email : hsccw650_chd@yahoo.co.in

ii) बाल ग्राम राई सोनीपत

ग्राम निदेशक
शिशु ग्रह, बाल ग्राम राई
सेनीपत, हरियाणा
Phone. 98137-78808
godbole.balgram@gmail.com

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज की तीन–तीन प्रतियां संलग्न करें।

पीएपी द्वारा दो स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित मूल रूप से निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यक्ता है

1. पहचान का प्रमाण मतदाता कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राईविंग लाइसेंस
2. भारत में निवास दर्शाने वाले पते का प्रमाण जो 365 दिनों से अधिक हो
3. विवाह प्रमाणपत्र
4. परिवार की तस्वीर (दत्तक ग्रहण करने वाले परिवार की पोस्ट कार्ड साइज की हाल में ली गई तस्वीरें)
5. पंजीकृत मेडिकल प्रेक्टिशनर द्वारा यह प्रमाणित करते हुए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र की पीएपी को किसी प्रकार की संक्रामक या अंतिम अवस्था की बिमारी या ऐसी कोई मानसिक या शारीरिक स्थिति नहीं है जिससे वह बच्चे की देखभाल न कर सके।
6. किन्ही तीन दोस्तों का प्रमाण पत्र जिसमें यह लिखा हो कि दम्पत्ति बच्चे की सही देखभाल करेंगे।
7. आय का प्रमाण पत्र।

इस कार्यवाही के उपरांत फार्म उक्तांकित दत्तक ग्रहण एजेंसियों में से किसी एक में आवेदन पत्र व दसतावेज जमा करवाएं।

↓

आवेदन पत्र की जांच के पश्चात् विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी (SAA) में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता गृह अध्ययन करेगा। गृह अध्ययन के लिए शुल्क 5000रू होगा।

↓

गृह अध्ययन संतुष्टिपूर्वक हो जाने पर दम्पति का नाम दत्तक प्रक्रिया (Adoption) की प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित हो जाऐगा।

↓

एक बच्चे का दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता–पिता द्वारा रेफरल की स्वीकार्यता के बाद दत्तक ग्रहण पूर्व पालक देखरेख में रखा जाएगा।

↓

बच्चे को सक्षम न्यायालय द्वारा दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता–पिता के पास दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी तौर पर रखा जा सकता है।

↓

शिशु को स्वीकृत या अस्वीकृत करना कारण सहित लिखित में लिया जाएगा।

↓

शिशु के चयनित होने पर शिशु को अभिभावक और उप–न्यायधीश के बीच शिशु की अस्थाई अभिरक्षा संबंधी कार्यवाही के बाद शिशु को अभिभावक के साथ पूर्वदत्तक पालन पोषण,देखभाल के लिए 3 मास के लिए (Pre Adoption Foster Care) में रखा जाऐगा। शिशु को अभिरक्षा में लेते समय 40,000रू का शुल्क देना होना।

↓

हर माह शिशु की प्रगति रिपोर्ट (Progress Report) अभिभावकों द्वारा विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी में जमा की जाए।

↓

हिन्दू दत्तक एंव रख रखाव नियम 1956 (Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956) के अंतर्गत वरिश्ठ प्रथम श्रेणी उप–न्यायधीश के समक्ष एक आवेदन किया जाए जहां उप–न्यायधीश शिशु की अभिरक्षा के लिए निर्दिष्ट अभिभावक होता है।

↓

शिशु को अभिभावक दंपति को कानूनी तौर पर सौंपे जाने के पश्चात् अडापशन को कुलसचिव (Registrar), चंडीगड़ के कार्यालय में पंजीकृत करवाना अनिवार्य।

यदि आप अपने आसपास किसी लावारिस शिशु को पाऐं तो उसे अपनी नजदीकी बाल कल्याण समिति **(Child Welfare Committee)** को या शिशु पालना केन्द्र को सौंपे।

CONTACTS

For further information
please contact:
website: www.wcdhry.gov.in
e-mail : dgwcd.hry@gmail.com,
spsu.icps@gmail.com,
sara.icps@gmail.com
Phone: 0172-2571151, 2571141,
2560368

CARA

please contact :
Phone : +91-11-26180194
e-mail : carahdesk.wcd@nic.in
(only for CARINGS queries)
cara@bol.net.in